

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

01

लक्ष्मी देवी बनाम रामेश्वर विश्वकर्मा वगै०

विविध वाद संख्या -39/2024

U/S - 144 Cr. P. C.

देश की
सं०
तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

प्रथम पक्ष:-

लक्ष्मी देवी, पति - सुधीर कुमार विश्वकर्मा,
साकिन- मंदरामों, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह।

बनाम

द्वितीय पक्ष:-

1. रामेश्वर विश्वकर्मा, पिता - स्व० तोता मिस्त्री,
 2. बिनोद विश्वकर्मा, पिता - स्व तोता मिस्त्री,
 3. मनोहर विश्वकर्मा, पिता - स्व० तोता मिस्त्री,
- सभी साकिन- मन्दरामों, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए, अपने-अपने दावे के समर्थन में कारण-पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	घोहदी
मन्दरामों	83	438	14 डी०	उ०- रास्ता, द०- किशुन लोहार, पू०- बोधवा कुम्हार, प०- किशुन लोहार।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने-अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 11.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है :-

1. लिखित आवेदन - कुल 04 पृष्ठ, प्रदर्श A-1
2. रामदयाल वगैरह के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति- कुल 02 पृष्ठ, प्रदर्श A-2
3. जीतन लोहार वगै० के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति - कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-3
4. लक्ष्मी देवी के आधार कार्ड की छायाप्रति - कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-4

39-05-2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक- 29.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण-पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण-पृच्छा - कुल 05 पृष्ठ, प्रदर्श B-1
2. केवाला संख्या - 1484, दिनांक - 11.02.1981 की छायाप्रति - कुल 03 पृष्ठ, प्रदर्श B-2
3. जीतन लोहार वगै० के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति - कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श B-3

थाना सरिया का प्रतिवेदन -

थाना प्रमारी, सरिया का DR.No. - 558/24, दिनांक - 20.03.2024; कुल 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन - 01 पृष्ठ); प्रदर्श C-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण-पृच्छा, राजस्व दरतावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि -

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
मंदरामों	83	438	14 डी०	उ०- रास्ता, द०- किशुन लोहार, पू०- बोधवा कुम्हार, प०- किशुन लोहार।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं० - 83, खतियान में रमदयाल वगै० के नाम पर दर्ज है।
3. उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या - 01, पेज संख्या - 81 पर जीतन लोहार यो झालो लोहार वगै० के नाम से दर्ज है।
4. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष एक ही खतियान के वंशज है, जो अपना - अपना हिस्सा एवं दखल कब्जा होने का दावा कर रहे हैं।

स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बंटवारा और हक - हकियत से संबंधित है, जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत कराये।

कानून व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

29.05.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
(निरिडीह)
बगोदर-सरिया।

29.05.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
(निरिडीह)
बगोदर-सरिया।